कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।

UTTARAKHAND

☎ :05942 –235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांकः–2636 / 18mg दिनांकः–29 /12/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषयः– जनपद नैनीताल में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत सतोली से कफूड़ा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.988 हैक्टयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0 FP/UK /ROAD/ 9471/2015)

संदर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इन्दिरानगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 1476/FP/UK/ROAD/9471/2015 दिनांक 25.11.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/89/2029/एफ0सी0/1756 दिनांक 17.11.2020 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत प्रेषित हैः–

1– शर्त संख्या–1 के अनुपालन में वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

2–शर्त संख्या–2 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनमूमि(नापभूमि) को अधिग्रहित कर लिया गया है।

3– शर्त संख्या–3 **प्रतिपूरक वनीकरणः–**

(क) खण्ड द्वारा 5.976 हैक्टयर, गैर वानिकी भूमि ग्राम पुटगॉव (धारी) में खसरा नं0 1799, 2174/3497 मध्ये जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश पत्रांक 2857/12–ज्येड0ए0सी0/2021–22 दिनांक 19.11.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सिविल भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण एवं दस वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों के आधार पर) रू0 20,15,012.00 (बीस लाख पन्द्रह हजार बारह मात्र) वन विभाग के पक्ष में इस कार्यालय के पत्रांक 2309/कैश दिनांक 15.11.2022 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक नैनीताल मे नैफ्ट/आर0टी0जी0एस0 चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 से 2)** वन विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा, ताकि प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा।

(ख) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि ग्राम पुटगॉव (धारी) में खसरा नं0 1799, 2174/3497 मध्ये 5.976 हैक्टेयर सिविल भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/ हस्तान्तरण जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश पत्रांक 2857/12–ज्येड0ए0सी0/2021–22 दिनांक 19.11.2022 के आधार पर अमल दरामद खतौनी में दर्ज करा दी गयी है।**(संलग्नक– 3 से 8)**।

(ग) इस बिन्दु से संबंधित वांछित प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जा रहा है। कृपया इसमें हस्ताक्षर कर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। **(संलग्नक–9)**

(घ) इस बिन्दु पर कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है।

4– शर्त संख्या–4 **शुद्ध वर्तमान मूल्यः–**

(क) भारत सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01,08,2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0(पी0टी0.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार मूल्य रू0 25,24,860.00 (पच्चीस लाख चौबीस हजार आठ सौ साठ मात्र) की धनराशि 2.988 हैक्टेयर वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य/एन0पी0वी0 आन लाईन जमा करा दिया गया है। **(संलग्नक–10)**

Scanned by CamScanner

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को जमा करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। **(संलग्नक–11)**

5– शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेंडो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 171 वृक्षो से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के साथ पेडो की कटाई की लागत जमा की जाएगी का बचनबद्धता प्रमाण पत्र। **(संलग्नक–12)**

6– शर्त संख्या–6 के अनुपालन में समस्त धनराशि ई–पोर्टल (https://praivash.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राविधकरण फण्ड में स्थानान्तरित /जमा किया गया है। कैम्पाकोष में जमा प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–10)**

7– शर्त संख्या–7 के अनुपालन में गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करनें के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी।

8– शर्त संख्या–8 के अनुपालन में एफ0आर0ए0–2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

9– शर्त संख्या–8 के अनुपालन में आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढा दी जायेगी।

10– शर्त संख्या–10 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/ वनक्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ क्षति विनियम साईनेज लगाया जायेगा।

11– शर्त संख्या 11 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्कता नहीं है। **(संलग्नक–13)**

12– शर्त संख्या–12 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

13– शर्त संख्या–13 के अनुपालन में वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

14– शर्त संख्या–14 के अनुपालन में मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।

15– शर्त संख्या–15 के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना की लागत पर ही भूमि पर सीमांकन कराया जायेगा।

16– शर्त संख्या–16 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

17– शर्त संख्या–17 के अनुपालन में वनभूमि का उपयोग परियोजनों के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

18– शर्त संख्या–18 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियो, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

19– शर्त संख्या– 19 के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी, मान्य है।

20– शर्त संख्या–20 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी, मान्य है।

Scanned by CamScanner

21– शर्त संख्या–21 के अनुपालन पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप सेह तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पैधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधारी कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी, मान्य है।

22– शर्त संख्या–22 के अनुपालन में यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम /न्यायालय/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी, मान्य है।

23– शर्त संख्या–22 के अनुपालन में यह रिर्पोट ई–पोर्टल (https://praivash.nic.in) पर अपलोड कर प्रेषित की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार सैद्वान्तिक स्वीकृति के अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कापी चार प्रतियों में मय संलग्नक के अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तनुसार 4–4 हार्ड प्रतियों में कुल 52 पृष्ठ ।

भवदीय

(इं0 संजय कुमार पाण्डे)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल ।

पत्रांकः–2630 /18mp दिनांकः–23/12/2022

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता द्वितीय, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल के कार्यालय में व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, देहरादून के पत्रांक 941/(1) X–4–18/1–05(4)/2014 दिनांक 26.09.2018 के तहत मोटर मार्ग के निर्माण की अनुमति प्राप्त करने उपरान्त प्रभावित वृक्षों के पातन संबंधित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करे।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल
23/12/2022

Scanned by CamScanner

UTTARAKHAND

संलग्नक-1

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।

☎ :05942 –235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांकः– 2369 / [illegible]

दिनांकः– 18/11/2022

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक,
मल्लीताल नैनीताल।

विषयः– बैंकर्स चैक संख्या 183267 दिनांक 11.11.2022 को Neft/Rtgs द्वारा दिये गये चालान के अनुसार भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराया जाना है कि खण्ड के अन्तर्गत नव स्वीकृत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़ के अन्तर्गत सतोली से कफूड़ा मोटर मार्ग निर्माण में एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का भुगतान वन विभाग के कैम्पा कोष में रू0 45,39,872.00 (रू0 पैंतालीस लाख उन्तालीस हजार आठ सौ बहत्तर मात्र) का Neft/Rtgs चालान के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु आन लाईन चालान जनरेट हुआ है,जिसमें उसका खाता अंकित है, में Neft/Rtgs के मध्यम से धनराशि जमा की जानी है।

अतः उकतानुसार बैंकर्स चैक सं0 183267 दिनांक 11.11.2022 रू0 45,39,872.00 (रू0 पैंतालीस लाख उन्तालीस हजार आठ सौ बहत्तर मात्र)एवं आन लाईन के माध्यम से जनरेट चालान की प्रति सहित मूल में संलग्न कर भुगतान किये जाने हेतु प्रेषित किया जा रहा है। कृपया जनरेट चालान के अनुसार अंकित खाते में यह धनराशि Neft/Rtgs के माध्यम से हस्तान्तरित करने की कृपा करें।

संलग्नः– 1– बैंकर्स चैक सं0 183267 दिनांक 11.11.2022 रू0 45,39,872.00 मूल में।
2– आन लाईन के माध्यम से जनरेट चालान– 03 प्रतियों में।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल

भारतीय स्टेट बैंक मल्लीताल शाखा 18/11/22

Scanned by CamScanner

२ संलग्नक – 2

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-09-2022

Agency Name.	EE CD NAINITAL
Application No.	6194710850
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/89/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction division, P.W.D. NainitalNainital
Amount(in Rs)	4539872/-

Amount in Words :Forty-Five Lakh Thirty-Nine Thousand Eight Hundred and Seventy-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896194710850 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through cha
even after 7 working days, then kindly mail a copy o
id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse(
ubin0903710@unionbankofindia.bank

Executive Engineer
Construction Div. P.W.D.
NAINITAL

भारतीय स्टेट बैंक नैनी...
नकद भुगतान / नकद प्रा...
16 NOV
PF ID 1016
POOJA CHA...

SBINR52022

SBINR520221116154072 38

संलग्नक-3

आदेश

अधि. अभि. लोक निर्माण विभाग (नि.ख.) नैनीताल द्वारा अपने पत्र संख्या 2294/18एम.जी./ दिनांक 03.11.2022 के द्वारा अवगत कराया है, कि जनौली–सकदीना– सतौली–कफूड़ा मोटर मार्ग हेतु ग्राम पुटगांव पट्टी च्यूरीगाड़ के तहसील धारी के एन.ज्यड.ए. खाता सं. 30 के खसरा न. 1799 व 2174/3497 मध्ये रकवा 9.231 हे. भूमि गैर जमीदारी विनाश श्रेणी 9(3) (ड़.) का प्रस्ताव क्षतिपूरक बृक्षारोपण हेतु चयनित कर उपलब्ध कराया गया था, जिसका वन विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ स्थलीय संयुक्त निरीक्षण दिनांक 05.10.2016 को किया गया था। उक्त भूमि क्षतिपूरक बृक्षारोपण के लिए उपर्युक्त पायी गयी थी, जिसका डिजीटल मैप तैयार करते हुए वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। सयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जनौली–सकदीना–सतौली–कफूड़ा मोटर मार्ग हेतु वर्ष 2019 में हस्तानान्तरण आदेश हो चुका है परन्तु सतौली–कफुड़ा माटर मार्ग हेतु 5.976 हे. भूमि का हस्तानानतरण आदेश नहीं हो पाया। उक्त भूमि एस.सी.एस.पी. के अन्तर्गत सतौली से कफुड़ा तक के मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.988 हे. वन भूमि हस्तानानतरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

कार्यालय पूर्व आदेश दिनांक 21.02.2019 के द्वारा जिनौली–तड़ी–सकदीना तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम पुटगांव पट्टी च्यूरीगाड़, तहसील धारी के एन.ज्यड.ए. खाता सं. 30 के खसरा न. 1799 व 2174/3497 मध्ये रकवा 3.255 हे. भूमि गैर जमीदारी विनाश श्रेणी 9(3) (ड़.) को क्षतिपूरक बृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तानान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

अतः राजस्व विभाग/वन विभाग की संयुक्त जॉच आख्या एवं **शासनादेश संख्या 2096** XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 व शासनादेश संख्या 111/XXVII(7)50(39)-2015 दिनांक 09.07.2015 व राजस्व विभाग के शासनदेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18 (120)दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 व शासनादेश संख्या 1887/ XVIII(II)/2015 दिनांक 30.07.2015 व **राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या 2096** XVIII(II)/2012-18 (120) दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के क्रम में ग्राम पुटगांव पट्टी च्यूरीगाड़ के तहसील धारी के एन.ज्यड.ए. खाता सं. 30 के खसरा न. 1799 व 2174/3497 मध्ये सतौली–कफुड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.988 हे. भूमि एवज में क्षतिपूरक बृक्षारोपड़ हेतु दूगनी भूमि एन.ज्यड.ए. के खाता सं. 30 के खसरा न. 1799 व 2174/3497 मध्ये कुल रकवा 5.976 हे. भूमि गैर जमीदारी विनाश श्रेणी 9(3) (ड़.) में राज्य सरकार के नाम दर्ज है, को वन विभाग के नाम निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार धारी तद्नुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति याचक विभाग वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग जनपद नैनीताल को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

1– भूमि पर कोई धार्मिक महत्व की ईमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिये भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिये शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग की जाय तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिये उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उसे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नही की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन

Scanned by CamScanner

संलग्नक–4

गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

8— यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि अथवा भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

9— प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू–व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

10— इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या 1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी0) संख्या 3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम् पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य शर्त निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11— आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या 01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

RN 3857/IC 25/11/22
AEE II / अमीन
EE

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल।

पत्र संख्या 2857 /12–ज्येड0ए0सी0/2021–22 दिनांक 19 नवम्बर, 2022

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल
2— अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
2— उपजिलाधिकारी, धारी।
3— तहसीलदार, धारी।

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

Scanned by CamScanner

30 9(3) ड० अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि–
बंजर

22	0.015
24	0.003
27	0.010
32	0.030
41	0.008
44	0.029
57	0.554
59	0.983
85	0.424
87	0.798
106	0.031
107	0.069
114ग	0.044
115क	4.229
121	0.049
169	0.056
177	0.013
239	0.051
244	0.093
254	0.015
274	0.276
286	0.038

(22)

आदेश–
कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के पत्रांक 1762/12–7ज्येड० ए० सी० /2019 दिनांक 21 फरवरी 2019 के अनुसार शासनादेश संख्या 111/XXVIII(7)50(39)2015/2014 दिनांक 9 जुलाई 2015 व राजस्व विभाग के शासनादेश सं० 1887/XVIII(II) 50(34)2015/ दिनांक 30/[illegible]/2015 एवं उपजिलाधिकारी धारी के पत्र संख्या 226/ अहलमद-संख्या/2019 दिनांक 07 फरवरी 2019 के क्रम में पिनौली-तड़ी-सकदीना तक मोटर मार्ग हेतु ग्राम पुटगांव पट्टी-चपुरीगाड के नॉन ज्येड० ए० खाता नं० 30 के खसरा नं० 1799 व 2174/3457 मध्ये रकबा 3.255 है० गैर जमींदारी विनाश श्रेणी 9(3) ड० भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण किया जाता है। कृ० र० का० दिनांक 24/04/19

[मुहर: राजस्व पुलिस ... नैनीताल उत्तराखण्ड]

(आर०ई०) 03 राजस्व परिषद/68–14–6–2010 (प–11) 1,00,000 फाम (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

1	2	3	4	5	6	7	8
	बंजर	288	0.205				
		290	0.044				
		318	0.036				
		321	0.008				
		323	0.014				
		332	0.079				
		370	0.038				
		384	0.039				
		422	0.055				
		425	0.024				
		441	0.046				
		467	0.337				
		480	0.825				
		481	0.395				
		496	0.020				
		522	0.742				
		523	0.018				
		529मि	0.214				
		537	0.016				
		544मि	0.100				
		564	0.031				
	(५५)	592	0.018				

1	2	3	4	5	6	7	8

आदेश :- श्रीमान जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के पत्र संख्या 2057/12 [illegible] दिनांक 11 [illegible] 2012 एवं शासनादेश संख्या 2496 XVIII(II) 2012-18 (120) दिनांक 17 दिसम्बर 2012 व शासनादेश संख्या II/XXVII(7).50(39)-2015 दिनांक 07-7-2015 व राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)2012-18(120) दिनांक 17 दिसम्बर 2012 व शासनादेश संख्या 1887/XVIII(II) 2015 दि० 30-7-2015 व राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या 2496 XVIII(II)2012-18(120) दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में ग्राम [illegible] पट्टी [illegible] तहसील धारी के [illegible] खाता सं० 30 के खसरा नं० 1799 व 2174/3497 मध्ये सतोली - [illegible] मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.988 हे० भूमि के एवज में [illegible] वृक्षारोपण हेतु दूसरी भूमि [illegible] के खाता सं० 30 के खसरा नं० 1799 व 2174/3497 मध्ये कुल रकबा 5.176 हे० भूमि और जमीदारी विनाश [illegible] 9(3) [illegible] में राज्य सरकार के नाम दर्ज है, को वन विभाग के नाम निर्धारित प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी। परवाना अमलदरामद दर्ज किया। 20

पुटगांव

फार्म नं० र – 6 नामान्तरण बही फसली 1430 तहसील धारी, जिला-नैनीताल

क्रम संख्या	खतौनी या खेवट खाता संख्या	आज्ञा की संख्या और उसका दिनांक	हस्तान्तरित अंश या गाटे: अंश यदि कोई हो	हस्तान्तरित अंश या गाटे: खसरा संख्या	हस्तान्तरित अंश या गाटे: क्षेत्रफल	हस्तान्तरित अंश या गाटों की मालगुजारी या उनका लगान	उन व्यक्तियों के नाम और विवरण जो हटा दिये गये	उन व्यक्तियों के नाम और विवरण जिनका इन्द्राज किया गया	हस्तान्तरण या परिवर्तन का प्रकार	प्रतिफल की धनराशि यदि कोई हो	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	NZA खा॰ सं॰ 30	श्रीमान जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के पत्र संख्या 2857/12-ज्येड॰ ए॰ सा॰/2021-22 दिनांक 19 नवम्बर, 2022 एवं शासनादेश संख्या 2016 XVIII(II) 2012-18(120) दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 व शासनादेश संख्या III/XXVII(7)50(39)-2015 दिनांक 09-07-2015 व राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18(120) दिनांक 17 दिसम्बर 2012 व शासनादेश संख्या 1887/XVIII(II) 2015 दि॰ 30-07-2015 व राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या 2096 XVIII(II) 2012-18(120) दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में ग्राम पुटगाँव पट्टी चुरीगाड़ के तहसील धारी के एन॰ ज्येड॰ ए॰ खाता सं॰ 30 के खसरा नं॰ 1799 व 2174/3497 मध्ये सतोली-कफूड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.988 है॰ भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु [illegible] भूमि एन ज्येड॰ ए॰ के खाता सं॰ 30 के खसरा नं॰ 1799 व 2174/3497 मध्ये कुल रकबा 5.976 है॰ भूमि गैर जमींदारी विनाश श्रेणी 9(3)ड॰ में राज्य सरकार के नाम दर्ज है, को वन विभाग के नाम निर्धारित प्रतिबन्धों के अधीन नि:शुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है। परवाना अमलदरामद दर्ज किया। [signature] 21-11-2022 र॰ का॰									

संलग्नक-10

Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
AD/9471/2015 ort.aspx? /ROAD/9471/2015) hura motor road	ROAD94712015850	6194710850	17 Nov 2020	CA: 2015012/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 2524860/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 4539872/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 22 Sep 2022 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 23 Sep 2022 Transaction Date: 16 Nov 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/210920221149109942_FPUKRO/ Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=
OAD/8248/2014 report.aspx? /UK/ROAD/8248/2014) -Pithoi motor road.	ROAD82482014280	6182480280	17 Feb 2021	CA: 802498/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 781830/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1584328/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 08 Feb 2022 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 09 Feb 2022 Transaction Date: 11 Feb 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/070220221526185527_FPUKRO/ Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=
/ROAD/39655/2019 wreport.aspx? P/UK/ROAD/39655/2019) truction of approach road Nawali from Km. 11 of ikhan-Nathuwakhan-Qurab motor road to ayani in Ramgarh Block of ct Nainital	ROAD396552019996	6139655996	27 Jan 2021	CA: 631208/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 614952/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1246160/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 07 Mar 2021 Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 08 Mar 2021 Transaction Date: 31 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/2112612471212 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?
K/ROAD/42523/2019 ewreport.aspx? FP/UK/ROAD/42523/2019) truction of motor road Matiyali to Prachin Mandir o through Km. 10 of na-Lweshal- Kalapatal and mik Pathshala in Ramgarh k under Nainital district.	ROAD425232019828	6142523828	20 Oct 2020	CA: 606931/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 760500/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1367431/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 09 Feb 2021 Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 08 Mar 2021 Transaction Date: 31 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/1112812321212E Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?
K/ROAD/46607/2020 iewreport.aspx? FP/UK/ROAD/46607/2020) construction of motor d from Pangkatara to lar under developmental alghat of Vidhan Sabha stituency of Nainital district ler state plan	ROAD466072020603	6146607603	18 Feb 2021	CA: 1153169/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 1444950/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 2598119/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 09 Mar 2021 Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 15 Mar 2021 Transaction Date: 31 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/3118123812193I Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?
UK/ROAD/46634/2020 Viewreport.aspx? =FP/UK/ROAD/46634/2020) nstruction of motor road in trict Nainital under Ramgarh ock via Nathuwakhan yalbari motor road, chhimi Matela till Tola Bhumiya dev andir	ROAD466342020712	6146634712	17 Feb 2021	CA: 1183516/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 1153035/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 2336551/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 08 Mar 2021 Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 08 Mar 2021 Transaction Date: 31 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/2112612521212C Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?

ediffmail.com

के

ण

22

Scanned by CamScanner

संलग्नक—11

परियोजना का नामः— जनपद नैनीताल में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत सतोली से कफूडा तक मोटर मार्ग के निर्माण।

शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाए।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड—लो0नि0वि0
नैनीताल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल।

Scanned by CamScanner

संलग्नक–12

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत सतोली से कफूडा तक मोटर मार्ग के निर्माण।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 171 वृक्षो से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के साथ पेडो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड–लो0नि0वि0
नैनीताल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल।

Scanned by CamScanner

संलग्नक–13

परियोजना का नाम:– जनपद नैनीताल में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत सतोली से कफूडा तक मोटर मार्ग के निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में लागू नही इसलिए भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड–लो0नि0वि0
नैनीताल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल।

Scanned by CamScanner

जियो रेफ़रेन्स मैप–जनपद नैनीताल के अन्तर्गत सतोली से कफूड़ा मोटर मार्ग का क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल–ग्राम पुटगॉव।

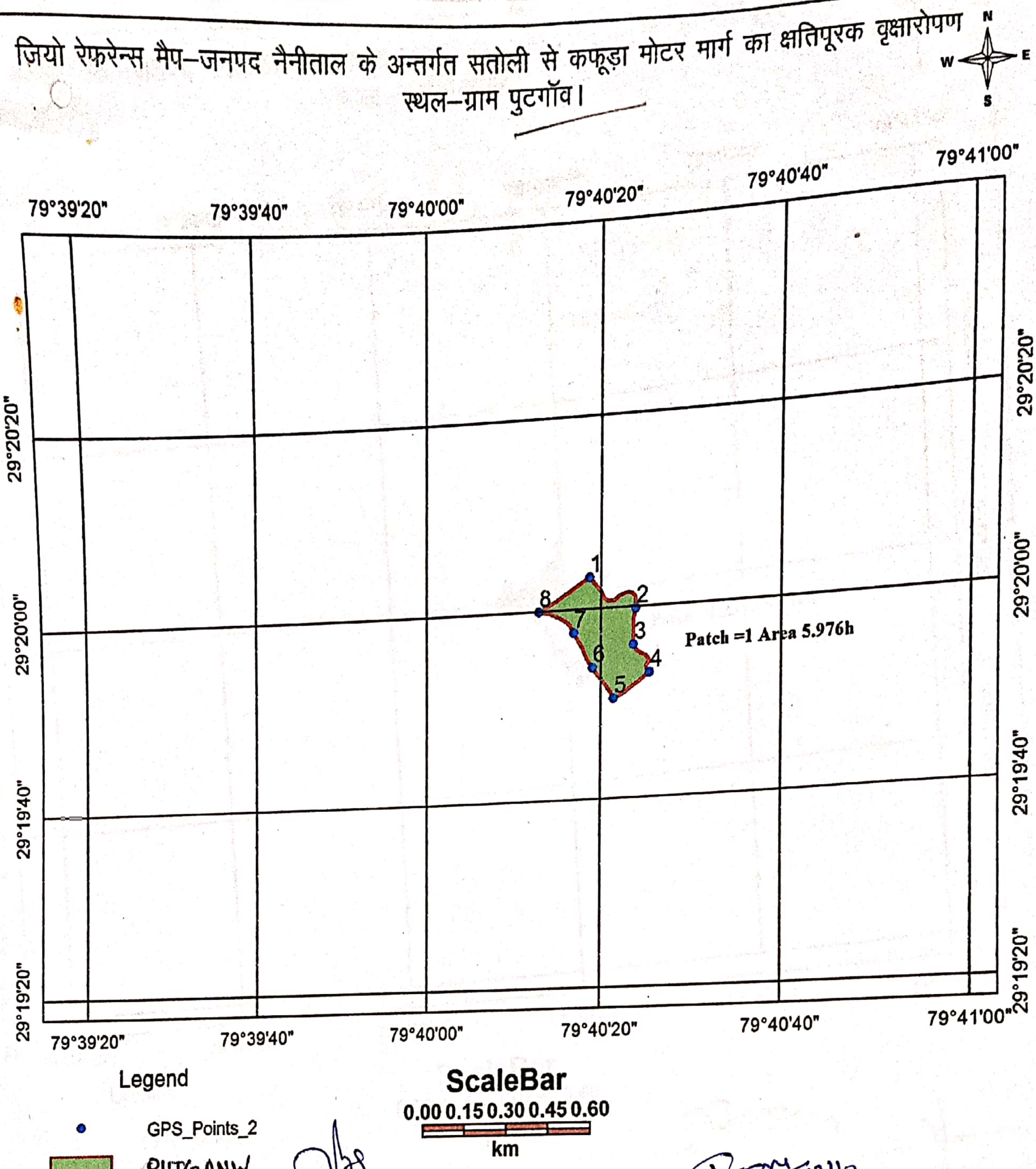

ID	Longitude	Latitude
1	79°40'18.65"	29°20'3.32"
2	79°40'23.86"	29°19'59.82"
3	79°40'23.63"	29°19'56.06"
4	79°40'25.45"	29°19'53.09"
5	79°40'21.39"	29°19'50.52"
6	79°40'19.03"	29°19'53.89"
7	79°40'16.89"	29°19'57.59"
8	79°40'12.91"	29°19'59.97"

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल

वन क्षेत्राधिकारी
दक्षिणी गौला रेन्ज
ओखलकाण्डा (नैनीताल)

उप प्रभागीय वनाधिकारी (नै0)
नैनीताल वन प्रभाग, नै0ताल.

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

Scanned by CamScanner

डिजिटल मैप–जनपद नैनीताल के अन्तर्गत सतोली से कफूड़ा मोटर मार्ग का क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल–ग्राम पुटगॉव।

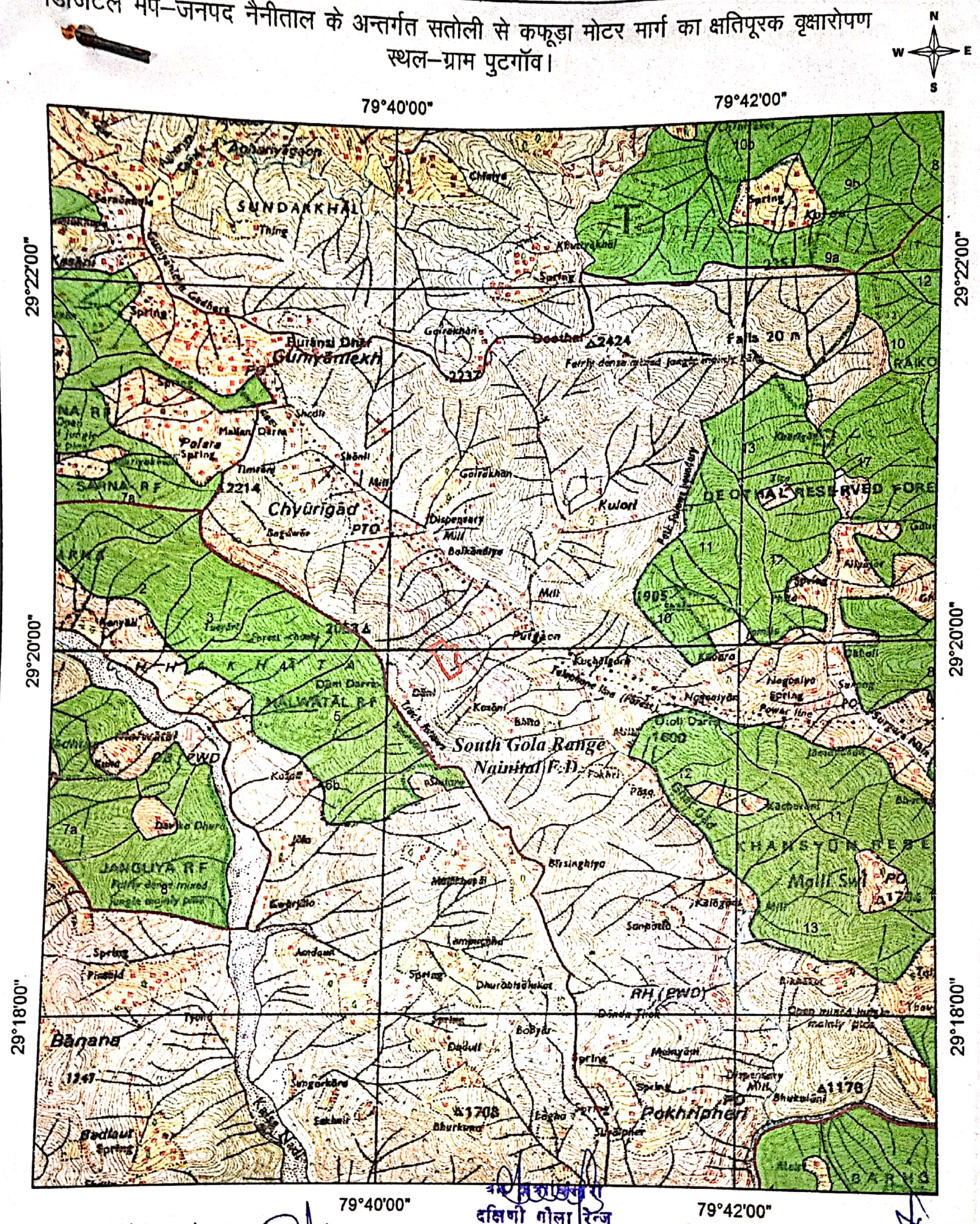

Legend

	Proposed_Land
	Reserve Forest Area
	Reserve Forest Boundary
	Range_Boundary
	Division_Boundary

ScaleBar

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0

km

Ameen

वन क्षेत्राधिकारी
दक्षिणी गोला रेन्ज
मोसलकाण्डा (नैनीताल)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०
नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०
नैनीताल

उप प्रभागीय वनाधिकारी (नै०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

Scanned by CamScanner